राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांकः प.3(50)नविवि/3/2012 जयपुर, दिनांक 19 NOV 2024

स्पष्टीकरण

इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 02.09.2024 के द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 11 के उप नियम (2) के तहत स्थानीय प्राधिकारियों के क्षेत्र में औद्योगिक सम्परिवर्तन की स्वीकृति हेतु समिति का गठन किया गया है। नियम 11(2) के अन्तर्गत कुछ मामलों में राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त किये जाने के उपरान्त स्थानीय निकाय स्तर पर पट्टा विलेख जारी किये जाने के प्रावधान है। राज्य सरकार द्वारा नियम 11(2) के अन्तर्गत उक्त शक्तियां समिति को प्रदत्त की गई है।

अतः औद्योगिक क्षेत्र के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्परिवर्तन की कार्यवाही के उपरान्त 10,000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व संबंधित नगरीय निकाय द्वारा समिति से अनुमति अपेक्षित रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रवि विजय)
शासन उप सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ /आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास, आवासन विभाग, जयपुर।
3. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. आयुक्त/सचिव, समस्त विकास प्राधिकरण।
6. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार, जयपुर।
8. निदेशक, स्थानीय निकाय, राजस्थान, जयपुर।
9. आयुक्त/सचिव, समस्त नगर विकास न्यास, राजस्थान।
10. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम/नगर परिषद/नगरपालिका मण्डल, राजस्थान।
11. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

शासन उप सचिव–प्रथम

Document certified by RAVI VIJAY <ravijay26@gmail.com>
Digitally Signed by: Ravi Vijay
Designation : Deputy Secretary To Government
Date :18-11-2024 06:16:00

Raj Ref No.: 11259646